उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–07/2022–23

मो0 मोहसीन

बनाम्

मु0 हुसैन वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 15/3/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मो0 मोहसीन, पे0– स्व0 शेख याकुब सा0–खटनई थाना–गोड्डा (मु0) जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय के पी0 ए0 केश नं0–05/19–20 आदेश दिनांक 04.03.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–5/19–20 आदेश दिनांक 04.03. 2022 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी मो0 हुसैन को मौजा खटनई थाना नं0 290 का प्रधान नियुक्त किया है एवं अपीलकर्त्ता के आवेदन अस्वीकृत किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा खटनई प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान शेख नूर नबी थे। गत प्रधान शेख नूर नबी की मृत्यु के बाद मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए मो0 हुसैन एवं मो0 मोहसीन ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदन पत्र दाखिल किया। मो0 हुसैन गत प्रधान शेख नूर नबी के एक मात्र पुत्र के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया एवं दूसरा आवेदक अपीलकर्त्ता ने आवेदन देकर दावा किया कि मो0 हुसैन सरकारी शिक्षक है एवं मौजा खटनई से लगभग 40 कि.मी. की दूरी पर कार्यरत है। इसलिए मो0 हुसैन मौजा खटनई के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए हकदार नहीं है। उस आवेदन में मो0 मोहसीन के द्वारा यह भी दावा

किया गया कि अपीलकर्त्ता भी प्रधान के वंश से आते हैं एवं एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते वह भी मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य दावेदार हैं। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायादेश दाखिल करते हुए यह कहा गया कि प्रधानी पद पर किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता की ओर से दायर किये उद्धरण पर विचार किये बिना एवं कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना ही मो0 हुसैन को मौजा खटनई का प्रधान नियुक्त किया था। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलकर्त्ता ने विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय मे आर0एम0ए0 नं0–24/19–20 दायर किया था। विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दोनों पक्ष को नोटिश तो निर्गत किया, लेकिन तथ्यों का जाँच किये बिना ही नया आदेश पारित कर उत्तरवादी मो0 हुसैन को मौजा–खटनई का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने सिर्फ उत्तरवादी को परेशान करने के लिए अपील वाद दायर किया है। यह स्पष्ट है कि गत प्रधान मो0 नूर नबी थे। मो0 नूर नबी की मृत्यु प्रधानी पद पर कार्यरत रहते हुए हो गयी थी। उनका एक मात्र पुत्र मो0 हुसैन है। गत प्रधान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर दावा किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया। उक्त नियुक्ति के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। चूँकि नियुक्ति के समय उत्तरवादी उर्दु शिक्षक थे। लेकिन अपील वाद चलने के दौरान उर्दु शिक्षक के पद से सेवानिवृत हो गये थे। लेकिन चूँकि प्रधानी पद पर नियुक्ति के समय सेवानिवृत नहीं हुए थे। इसलिए विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को

रद्द किया गया एवं सेवानिवृति के तथ्यों के जाँच हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को पुनर्विचार हेतु रिमाण्ड किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रिमाण्ड आदेश प्राप्ति के पश्चात दोनों पक्ष को नोटिश निर्गत किया गया एवं अपने–अपने पक्ष में कागजात दाखिल करने के लिए निदेशित किया गया एवं अपने संतुष्टि के लिए अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि अपीलकर्त्ता उर्दु शिक्षक के पद से सेवानिवृत हो गये हैं एवं वे मौजा–खटनई में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं तथा मौजा के रैयतों में आम स्वीकार्य हैं। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं दोनों पक्ष की ओर से दाखिल कागजात के अवलोकन के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उत्तरवादी को गत प्रधान के एक मात्र पुत्र के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–खटनई का प्रधान नियुक्त किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय का पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा गत प्रधान के पुत्र के आधार पर उत्तरवादी को मौजा–खटनई का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए वर्तमान अपील वाद स्वीकार्य योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा खटनई थाना नं0 290 प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान शेख नूर नबी थे। उत्तरवादी मो0 हुसैन के साथ अपीलकर्त्ता ने भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत दावा किया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उत्तरवादी को अंतिम प्रधान के एक मात्र पुत्र के आधार पर उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया था। लेकिन नियुक्ति के समय उत्तरवादी सरकारी उर्दू शिक्षक के पद पर कार्यरत होने के कारण अपील वाद आर0एम0ए0 नं0–24/2019–20 (मो0 मोहसीन बनाम् मु0 हुसैन

वगैरह) के आदेश दिनांक—22.09.2021 के द्वारा उत्तरवादी के नियुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए अभिलेख पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आदेश दिनांक—04.03.2022 के द्वारा उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि अंतिम प्रधान के एक मात्र पुत्र मो0 हुसैन, शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। लेकिन उत्तरवादी अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये। यह भी उल्लेख है कि उत्तरवादी मौजा के सौलह आना रैयतों में आम स्वीकार्य योग्य है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0—05/2019—20 आदेश दिनांक—04.03.2022 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।
[signature] 13/03/23

उपायुक्त
गोड्डा।
[signature] 13/03/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:23:04 +05:30
Location: 172.21.32.1